



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252118
CG-DL-E-15022024-252118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945

No. 38]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

सं. 42/2023

विषय: दिनांक 31.08.2024 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस), 2022 के आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत खरबूज के बीज के आयात के संबंध में।

फा. सं. 01/53/8/डब्ल्यू-2/एएम24/आईसी.-विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा 31.08.2024 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत खरबूज के बीज के आयात की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं—

1. संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के संदर्भ में 31.08.2024 तक खरबूज के बीज का आयात 1,200 मीट्रिक टन (मी.ट.) से अधिक नहीं होगा और वास्तविक प्रयाक्ता के आधार पर अनुमत होगा। तदनुसार डीजीएफटी इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से अधिकतम 22.02.2024 तक खरबूज के बीज के प्रतिबंधित आयात हेतु लाइसेंस के लिए निम्नानुसार नए आवेदन आमंत्रित करता है:

- i. एक आईईसी के तहत खरबूज के बीज के आयात के लिए केवल एक आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

- ii. आवेदनों पर वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर प्रोसेसरों के लिए केवल खरबूज के बीज के आधार पर ही विचार किया जाएगा।
- iii. प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाते हुए सार्वजनिक सूचना की तिथि पर या तिथि से पहले जारी किए गए वैध एफएसएसएआई विनिर्माता लाइसेंस आवेदन के साथ प्रदान करना अपेक्षित होगा। दिए गए एफएसएसएआई लाइसेंस में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि आवेदक एफएसएसएआई श्रेणी 4 (फल और सब्जियां, समुद्री शैवाल, और नट्स और बीज) के तहत एक विनिर्माता है। व्यापार, खुदरा बिक्री, थोक, पुनः पैकेजिंग, लेबलिंग उद्देश्यों के लिए जारी किए गए एफएसएसएआई लाइसेंसों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv. आवेदक को राजकोषीय वर्ष 2021–22, 2022–23, और 2023–24 (इस सार्वजनिक सूचना की तिथि तक) के लिए खरबूज के बीज (मी.ट. में) के आयात और अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाई में संसाधित किए गए संसाधित खरबूज के बीजों की मात्रा (मी.ट. में) को प्रमाणित करने वाला एक वैध चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र संसाधित खरबूज के बीजों की बिक्री से संबंधित मात्रा के साथ जीएसटी बीजकों की एक सूची सहित होगा। मसौदा प्रपत्र संलग्न अनुलग्नक-क पर देखा जा सकता है।
- v. आवेदक यह घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि आवेदन और सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र में केवल संसाधित खरबूज के बीजों का उल्लेख किया गया है और खरबूज के बीजों की किसी भी व्यापारी मात्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वचनपत्र हेतु मसौदा प्रपत्र संलग्न अनुलग्नक-ख पर देखा जा सकता है।

2. खरबूज के बीज के आयात के लिए सभी आवेदनों का उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित कुल मात्रा के अंतर्गत, अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक के लिए आयात मात्रा एकिज़म सुविधा समिति (ईएफसी) की सहायता और सलाह पर, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.48 के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ईएफसी, आवेदनों की जांच के दौरान, विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखेगी, जिसमें वैध निर्माता एफएसएसएआई, वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 और 2023–24 (इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक) के दौरान खरबूज के बीज का आयात और संसाधित मात्रा शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले आयातों का निर्धारण करने में, किसी भी पूर्व आवंटन जो मुकदमेबाजी (यदि कोई हो) के कारण लंबित हो सकता है, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा।

3. ईएफसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य मात्रा के आवंटन बनाए रखने हेतु आवंटित मात्रा (मात्राओं) के लिए न्यूनतम सीमा और/अथवा अधिकतम सीमा निर्धारित करेगी। प्रारंभिक यथानुपात आवंटन के बाद शेष मात्राओं (यदि कोई है) का शेष आवेदकों (यदि कोई है) को पुनः वितरित किया जाएगा। किसी भी समय पर जैसा उचित समझा जाए आवंटन प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार डीजीएफटी के पास सुरक्षित रहेगा।

4. सभी आवेदन दर्शाये गए पाथ, सेवाएं → इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम → इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट्स-एप्लाए फॉर न्यू ऑथोराइजेशन, अंडर इम्पोर्ट कैटेगरी एज़ 'वाटर मेलन/मस्कमेलन सीड्स' के तहत डीजीएफटी वेबसाइट पर जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य श्रेणी के तहत जमा किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

5. सभी संभावित आबंटिती यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उक्त आयात प्राधिकार-पत्र से जुड़ी आयात खपें 31.08.2024 को या उससे पूर्व भारतीय पत्तनों पर पहुंचा दी जाएं।

6. आवेदक द्वारा किसी भी गलत घोषणा की स्थिति में, आवेदक को वर्तमान आयात आवंटन के लिए विचार करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और तदुपरांत दो (2) वर्षों की अवधि के लिए समान प्रकृति के किसी भी आवंटन में भागीदारी से वंचित कर दिया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) 12077090 के तहत खरबूज के बीजों पर प्रतिबंधित आयातों हेतु प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, दिनांक 31.08.2024 तक आयात हेतु वैध। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.02.2024 इस दिन के अंत तक है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक—क

प्रोसेसिंग टर्नओवर को प्रमाणित करने हेतु दिए गए पीएन के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले
सीए प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(सनदी लेखाकार फर्म के शीर्ष पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जिसकी आईईसी सं. है, जो पता (पते)
..... स्थित है की लेखा पुस्तिका की जांच की गई है।

2. तदनुसार यह घोषणा की जाती है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले दो वित्तीय वर्षों में संसाधित खरबूज के बीज का कुल आयात एवं मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	खरबूज के बीज का आयात		संसाधित खरबूज के बीज की बिक्री	
	(मीट्रिक टनों में)	(भारतीय करोड़ रु. में)	(मीट्रिक टनों में)	(भारतीय करोड़ रु. में)
2021-22				
2022-23				
2023-24 (14.02.2024 तक)				

(यूडीआईएन):

सीए फर्म के भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: _____

स्थान: _____

संसाधित खरबूज के बीजों हेतु जीएसटी बीजकों का विवरण

जीएसटी बीजक सं.	जीएसटी बीजक की तिथि	कि.ग्रा. में मात्रा	भारतीय रुपये में मूल्य
....			
कुल (2021-22)		[_____]	[_____]
....			
कुल (2022-23)		[_____]	[_____]
....			
कुल (2023-24)		[_____]	[_____]

सीए फर्म का भागीदार/निदेशक

दिनांक: _____

स्थान: _____

अनुलग्नक ख**आवदेक फर्म द्वारा वचन पत्र का प्रपत्र**

(आवेदक फर्म के शीर्षपत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

वचन पत्र

मैं (निदेशक/भागीदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) मैसर्स (_____) जिसकी आईईसी सं. _____ है जो पता (पते) _____ स्थित है यह घोषणा करते हैं कि –

1. सनदी लेखाकार जिनका यूडीआईएन _____ है के संदर्भ में और खरबूज के बीज हेतु आयात आवेदन के लिए डीजीएफटी के लिए ऑनलाइन आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के संदर्भ में, मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि संसाधित खरबूज के बीजों हेतु प्रस्तुत विवरण सही है और इस संबंध में संसाधित मात्रा का स्वयं के परिसर में विनिर्माण किया है। खरबूज के बीजों हेतु किसी भी व्यापारी मात्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
2. मैं घोषणा करता हूँ कि सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र जिनका यूडीआईएन _____ है, मैं यथा उल्लिखित खरबूज के बीज के आयात का विवरण और डीजीएफटी के ऑनलाइन आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण सही है।
3. मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भी गलत घोषण करने पर मैं वर्तमान आयात आवंटन हेतु विचारार्थ अयोग्य ठहराने के लिए पात्र रहूंगा और मुझे इस तरह के किसी भी आगामी आवंटन में सहभाग लेने हेतु दो (2) वर्षों की अवधि के लिए रोका जाएगा।

आवेदक फर्म के भागीदार/निदेशक/मालिक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: _____

स्थान: _____

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi the 14th February, 2024

No. 42/2023

Subject: Import of Muskmelon Seeds under ITC(HS) 12077090 of ITC(HS) 2022 for the period up to 31.08.2024 -reg.

F. No. 01/53/8/W-2/AM24/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the procedure for import of Muskmelon Seeds under ITC(HS) 12077090 for the period of up to 31.08.2024 as follows –

1. Reference the recommendation from the ministry concerned, the imports of **Muskmelon Seeds shall not exceed 1,200 Metric Tonnes (MTs), Imports shall be permitted up to 31.08.2024 and shall be allowed to importers on Actual User basis only.** Accordingly, DGFT invites fresh applications for Authorisation for Restricted import for Muskmelon Seeds with effect from the date of this Public Notice and not later than **22.02.2024** as follows -

- i. Only one application for import of Muskmelon seeds shall be considered against one IEC.
- ii. The applications shall be considered on Actual User basis to Processors only.
- iii. A valid FSSAI Manufacturer Licence issued on or before the date of this Public Notice indicating the processing capacity is required to be provided along with the application. The given FSSAI Licence should clearly indicate the applicant is a manufacturer under FSSAI Category 4 (Fruits & vegetables, seaweeds, and nuts and seeds). FSSAI licences issued for trading, retailing, wholesale, re-packaging, labelling purposes shall not be considered.
- iv. The applicant must submit a valid Chartered Accountant (CA) Certificate certifying the import of Muskmelon Seeds (in MTs) and the volume of processed Muskmelon seeds (in MTs), processed in their own manufacturing unit(s), for the fiscal years 2021-22, 2022-23, and 2023-24 (till the date of this Public Notice).

The CA certificate should be accompanied by a list of GST invoices along with quantity pertaining to the sale of processed Muskmelon seeds. Draft CA Certificate template enclosed at Annexure-A may be seen.

- v. The applicant shall provide a declaration that only the Muskmelon seeds processed have been stated in the application and the CA Certificate, and any trading volume of Muskmelon Seeds have not be included. Draft template for the Undertaking enclosed at Annexure-B may be seen.
2. All applications for import of Muskmelon seeds will be assessed individually, within the total quantities stated at Para (1) above. The import quantity for each applicant will be determined on the assistance and advice of the Exim Facilitation Committee (EFC), in accordance with the procedures under Para 2.48 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023. The EFC, during the examination of the applications, will take into account specific factors, including but not limited to, valid manufacturer FSSAI, the importation and processed volume of Muskmelon seeds during the fiscal years 2021-22, 2022-23, and 2023-24 (till the date of this Public Notice). In determining past imports, any earlier allocations that may be pending due to litigation(s) if any, will also be taken in account.
3. The EFC shall prescribe a minimum and/or maximum limit for the allocated quantity(s), to maintain allocation of economically viable quantities. Remaining quantities (if any) after the initial pro-rata allocation, shall be redistributed to the remaining applicants (if any). DGFT shall retain the right to modify the allocation process as it deems appropriate, at any juncture.
4. All applications are required to be submitted online on the DGFT Website under Services → Import Management System → Import Authorisation for Restricted Imports → Apply for New Authorisation, under Import Category as 'Muskmelon/Muskmelon Seeds'. Applications submitted under any other Category are liable to be rejected.
5. All potential allottees are obligated to ensure that the import consignments associated with the said Import Authorisations are delivered to the Indian ports on or before 31.08.2024.
6. In the event of any misdeclaration by the applicant, the applicant shall be disqualified from consideration for the present import allocation and shall be debarred from participation in any subsequent allocations of a similar nature for a period of two (2) years.

Effect of this Public Notice:

Applications are invited for Authorisation for Restricted Imports for Muskmelon seeds under ITC (HS) 12077090, applicable for import of Muskmelon Seeds until 31.08.2024. The deadline for submitting online applications is 22.02.2024.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Annexure A

Format of the CA Certificate to be submitted by the applicant under given PN to certify the Processing Turnover

(To be submitted on the letterhead of the Chartered Accountant firm)

CERTIFICATE

This is to certify that the books of accounts of the firm of M/s. (firm name) having IEC _____, located at (address(es)) have been examined.

2. It is accordingly declared that the total imports and the volume of processed Muskmelon Seeds for the current Financial Year and last two Financial Years is as under:-

Year	Import of Muskmelon Seeds		Sale of Processed Muskmelon Seeds	
	(in Metric Tonnes)	(In INR Crores)	(in Metric Tonnes)	(In INR Crores)
2021-22				
2022-23				
2023-24 (till 14.02.2024)				

[UDIN]: _____

Partner/Director/Authorised Signatory of the CA firm

Date: _____

Place: _____

Details of GST Invoices for Processing of Muskmelon Seeds

GST Invoice No.	Date of GST Invoice	Quantity in Kgs	Value in INR
.....			
Total (2021-22)		[_____]	[_____]
.....			
Total (2022-23)		[_____]	[_____]
.....			
Total (2023-24)		[_____]	[_____]

 Partner/Director of the CA firm

Date: _____

Place: _____

Annexure B

Format of the Undertaking by the Applicant Firm
(To be submitted on the letterhead of the Applicant Firm)

UNDERTAKING

I, (name of director/partner/proprietor/authorised signatory) of the firm of M/s. (firm name) having IEC _____, located at (address(es)) declare that -

1. Reference the Charter Accountant Certificate having UDIN ____ and reference the details as submitted vide the online application to DGFT for import allocation for Muskmelon Seeds, I hereby undertake that the details submitted for the processed Muskmelon Seeds are correct and pertain to the volumes processed at own manufacturing premises. Any trading volumes for Muskmelon seeds have not been included herein.
2. I undertake that the details of Import of Muskmelon Seeds as stated in the Charter Accountant Certificate having UDIN ____ and as submitted vide the online application to DGFT are correct.
3. I undertake that in the event of any misdeclaration, I shall be liable for disqualification from consideration for the present import allocation and shall be debarred from participation in any subsequent allocations of a similar nature for a period of two (2) years.

 Partner/Director/Proprietor/Authorised Signatory of the applicant firm

Date: _____

Place: _____